 CRR No.-03/2023

न्यायालय :–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, उमरिया (म.प्र.)
(समक्ष–अहमद रज़ा)

Case No-CRR/03/2023
Filing No.-CRR/359/2023
CNR No.-MP54010004412023
Filing date-25-02-2023

वरूण नामदेव, उम्र–36 वर्ष, निवासी सिंधी धर्मशाला के पीछे, वार्ड नंबर 11, कैंप, उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.)

–––––––**पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक**

विरूद्ध

1. संजीव श्रीवास्तव, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी शासकीय सेवक कलेक्टर कार्यालय उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.)

2. म.प्र. शासन द्वारा थाना कोतवाली उमरिया

–––––**प्रत्यर्थीगण / अनावेदकगण**

पुनरीक्षणकर्ता स्वयं उपस्थित।
प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री ए.के. श्रीवास्तव अधिवक्ता।

:: आदेश ::
(आज दिनांक 04.07.2025 को पारित)

1. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत श्री राजन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उमरिया, जिला उमरिया के अपंजीकृत आपराधिक प्रकरण क्रमांक–41 / 2022, वरूण नामदेव विरूद्ध संजीव श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक–08.06.2022 से

क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट, उमरिया, जिला उमरिया ने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता वरूण नामदेव ने विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि अनावेदक क्रमांक–1 संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर उमरिया ने दिनांक–26.01.2022 को उमरिया स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के बैच को उल्टे ढंग से पहना और जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, जिन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए ध्यान आकर्षित कराया गया, परन्तु उसके बाद भी उन्होंने सुधार नहीं किया गया और 03 घंटे तक ऐसी उपेक्षा की, जो कि ''द प्रिवेंशन आफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971'' की धारा–2 का उल्लंघन है। पुनरीक्षकर्ता/आवेदक ने उक्त संबंध में सी.एम. हेल्प लाइन की मदद से थाना कोतवाली उमरिया में शिकायत की थी, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर पुनरीक्षकणकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक उमरिया के समक्ष धारा–154(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया था, किंतु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तब पुनरीक्षणकर्ता ने मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक–08.06.2022 को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर उसने यह विचारणीय पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

3. प्रस्तुत पुनरीक्षण इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत–ललिता कुमारी में प्रतिपादित सिद्धांत का पालन न करते हुये उपेक्षा कारित की है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा संज्ञेय अपराध में पुलिस रिपोर्ट नहीं बुलाई गई है, जबकि उसको बुलाया जाना आवश्यक है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अनुसंधान का निर्देश, न दिये जाने के संबंध में आदेश पारित कर भूल कारित की है। विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और पुलिस रिपोर्ट न बुलाकर भूल कारित की है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक–08.06.2022 निरस्त कर पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा–166–ए(बी) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–2 ''द प्रिवेंशन आफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971'' के तहत अनावेदक क्रमांक–1 के विरूद्ध अनुसंधान के लिए निर्देशित किये जाने

का निवेदन है।

4. प्रत्यर्थीगण की ओर से आलोच्य आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

5. **—: प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :—**

1—	क्या श्री राजन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया, जिला उमरिया के अपंजीकृत प्रकरण क्रमांक—41/2022, पक्षकार वरूण नामदेव विरूद्ध संजीव श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक—08.06.2022 अवैध, अशुद्ध एवं औचित्यहीन है ?

—: निष्कर्ष के आधार :—

—: विचारणीय प्रश्न क्रमांक—1 का निष्कर्ष :—

6. सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या श्री राजन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उमरिया के प्रकरण क्रमांक—41/2022 वरूण नामदेव विरूद्ध संजीव श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक—08.06.2022 एक अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में आता है अथवा नहीं ? तो विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष केवल धारा—156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन संबंधित थाना को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बावत् प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यदि परियादी का पक्ष मान लिया जाता, तो आवेदन का निराकरण होकर अग्रिम अनुसंधान के लिये पुलिस को निर्देशित कर दिया जाता और उस बिन्दु पर दाण्डिक कार्यवाही समाप्त हो जाती।

7. अंतर्वर्ती आदेश होने अथवा न होने के संबध में न्यायदृष्टांत—**भास्कर इंडस्टीज लिमिटेड विरूद्ध भिवानी डेनिम 2003 (1) जे.एल. जे. 56 एस. सी.** अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई आदेश मात्र इस कारण अंतर्वर्ती आदेश नहीं हो जाता है कि वह प्रकरण की अंतर्वर्ती अवस्था में पारित किया गया है, बल्कि इसका सुरक्षित परीक्षण यह है कि पुनरीक्षण करने वाले पक्षकार का पक्ष मान लिया जाता है, तो दाण्डिक कार्यवाही उस बिन्दु पर समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा होता है, तो आदेश अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहलाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत—**मधुलीमिये विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 47** भी अवलोकनीय है, जिसमें यह परीक्षण बतलाया गया है कि ऐसा आदेश, जिसमें किसी बिन्दु पर अभियुक्त के पक्ष में अस्वीकार कर दिया गया हो, यदि स्वीकार कर लिया जाये

तब कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, ऐसे आदेश को निश्चित रूप से अंतर्वर्ती आदेश नहीं कहा जा सकता।

8. अतः उक्त न्यायदृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि परिवादी की ओर से विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन का निराकरण अंतर्वर्ती आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण यह पुनरीक्षण पोषणीय होकर सुनवाई योग्य है।

9. अभिलेख एवं आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह परिलक्षित हो रहा है कि पुनरीक्षणकर्ता की ओर से एक परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अग्रिम विवेचना किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक–26.01.2022 को प्रत्यर्थी क्रमांक–1 संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर उमरिया ने उमरिया स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज के बेच को उल्टे ढंग से पहनकर जान–बूझकर एवं स्वेच्छया से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद भी गलती को सुधारा नहीं था।

10. राष्ट्र–गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा–2 में यह प्रावधानित किया गया है कि, जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में या जनता को दृष्टिगोचर किसी अन्य स्थान में, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अथवा भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलायेगा, विकृत करेगा, विरूपित करेगा, अपवित्र करेगा, विद्रूप करेगा, नष्ट करेगा या रौंदेगा या (चाहे बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा अथवा कार्यों द्वारा), उसके प्रति अन्यथा अनादर दर्शित करेगा या अपमान करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा। इस धारा के स्पष्टीकरण–2 में ''भारतीय राष्ट्रीय ध्वज'' पद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या उसके किसी भाग का या किन्हीं भागों का, किसी पदार्थ का बना हुआ या किसी पदार्थ पर रूपित चित्र, रंग चित्र या फोटो चित्र है या अन्य दृश्यरूपण भी है।

11. इस प्रकार उक्त धारा–2 से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा के तहत व्यक्ति को तभी दण्डित किया जावेगा, जब उसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उपरोक्त धारा में वर्णित अनुसार कृत्य करेगा। विचारण न्यायालय के प्रकरण में संलग्न प्रदर्श–ए के तीन फोटोग्राफ्स की छायाप्रति का अवलोकन किया गया, जिसमें सिर पर पगड़ी पहने हुये व्यक्ति को पुनरीक्षकर्ता के द्वारा तर्क के दौरान

श्री संजीव श्रीवास्तव कलेक्टर उमरिया होना बताया है तथा उक्त व्यक्ति के बायीं जेब के पास गोले एवं तीर से दर्शित बैच को उल्टा तिरंगा झंडा होना बताया है, परंतु फोटोग्राफ्स से प्रथम दृष्टया यह दर्शित नहीं हो रहा है कि उक्त तथाकथित व्यक्ति के बायीं जेब के पास दर्शित वस्तु ''भारतीय राष्ट्रीय ध्वज'' है अथवा नहीं।

12. वर्तमान प्रकरण में परिवादी की ओर से यह दर्शित नहीं किया गया है कि उक्त तीनों फोटोग्राफ्स की छायाप्रति कैसे व किन साधनों से प्राप्त की गयी और न ही उक्त तीनों फोटोग्राफ्स की सत्यता के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। परिवादी के द्वारा उक्त फोटोग्राफ्स की छायाप्रति की मूलप्रति या जिस साधन द्वारा निर्मित की गयी है, उसे संरक्षित किया गया अथवा नहीं, ऐसा भी अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रथम दृष्टया उक्त तीर एवं गोले में दर्शित वस्तु ''भारतीय राष्ट्रीय ध्वज'' होना दर्शित नहीं हो रहा है, तब यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक–1 के द्वारा ''भारतीय राष्ट्रीय ध्वज'' का अपमान अथवा अनादर किया गया।

13. विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा परिवादी के परिवाद को निरस्त करने का एक आधार यह भी लिया गया है कि परिवाद, शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं है, जबकि विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि परिवाद के समर्थन में परिवादी ने शपथ पत्र संलग्न किया है, इसलिये विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में उक्त संबंध में तथ्य की त्रुटि की है, परंतु यदि यह मान भी लिया जाये कि परिवादी का परिवाद पत्र शपथ पत्र द्वारा समर्थित है और परिवाद पत्र में तकनीकि कोई त्रुटि नहीं है, तब भी इस तथ्य पर विचार किये जाने पर कि क्या प्रत्यर्थी क्रमांक–1 जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अनादर अथवा अपमान किया गया, तो यह उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश शासन की ओर से सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रज्ञावान व्यक्ति होता है, जो राष्ट्रीय ध्वज के अनादर व अपमान को अच्छी तरह समझता है, इसलिए उससे यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह जान–बूझकर या स्वेच्छयापूर्वक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करेगा।

14. वर्तमान प्रकरण में वैसे भी परिवादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह दर्शित हो कि जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्वत के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का किसी प्रकार से अनादर व अपमान किया

गया है। परिवादी के द्वारा अपने परिवाद में यह भी व्यक्त किया गया है कि जिला कलेक्टर का ध्यान उल्टे झंडे का बैच लगाये जाने की ओर आकृष्ट किये जाने के बावजूद भी उन्होंने उसे सही नहीं किया, परंतु उल्टा झंडा लगा होने के संबंध में किस व्यक्ति के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया, ऐसा परिवादी की ओर से परिवाद में दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निष्कर्ष में प्रत्यर्थी क्रमांक–1 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान की कार्यवाही किये जाने के तथ्य विद्यमान न होने के कारण धारा–156(3) एवं धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार न होने से परिवाद निरस्त किया है।

15. विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक–1 के विरूद्ध किसी भी धारा का अपराध न किये जाने के तथ्य विद्यमान न होने के कारण, संज्ञान नहीं लिया है। इस प्रकार मेरे मत में भी प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य विद्यमान नहीं है, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक–1 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर पुलिस को अग्रिम अनुसंधान कराये जाने के लिये निर्देशित किया जाये। विद्वान विचारण न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया कोई अनुसंधान के तथ्य अंतर्वलित न होने के कारण पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है। इस प्रकार विद्वान् विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का आवेदन निरस्त करने का आदेश अवैध, अशुद्ध एवं औचित्यहीन नहीं है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

16. उक्त सभी तथ्यों को देखते हुये पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है और विद्वान मजिस्ट्रेट, उमरिया द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक–08.06.2022 की पुष्टि की जाती है।

17. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(अहमद रज़ा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
उमरिया (म.प्र.)

(अहमद रज़ा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
उमरिया (म.प्र.)

AHMED RAZA
Digitally signed by AHMED RAZA
Date: 2025.07.04 12:32:50 +0530